1

# कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611


पत्रांक– 2467/FP/UK/ROAD/10168/2015 :देहरादूनः दिनांकः 16 अप्रैल, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जंनपद पौड़ी गढवाल में संगलाकोटी–भैडगांव–गुडिण्डा मोटर मार्ग के तिलखोली–जजेड़ी तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 1.796 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/170/2015/एफ0सी0/556 दिनांकः–21.06.2016

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी के पत्रांक 2196/12–1 दिनांक 31.03.2022 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

| क्र. सं0 | अधिरोपित शर्त | सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले में 3.592 है0 ग्राम बड़ेथ सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित भूमि घोषित किया जायेगा। | शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले में 3.992 है0 ग्राम बड़ेथ सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रू0 8,27,245.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1)** तथा उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के नाम अमलदरामद भी कर दिया गया है। अमलदरामद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2)** साथ ही उक्त भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने का प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)** |
| 2 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0–566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। | शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0–566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 11,79,972.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |
| 3 | प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)** |

| | | |
|---|---|---|
| | भारत सरकार पत्र संख्या–5–3 /2007–एफ०सी० दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण कैम्पा के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जनरेट होता है, उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि रू0 11,79,972.00 तथा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 8,85,725.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि रू0 8,27,245.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 28,92,942.00 चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। धनराशि की पुष्टि हेतु चालन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–1के अनुसार) |
| 5 | सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचनवद्धता प्रेषित करनी होगी। | शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों उचित वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि रू0 8,85,725.00 की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख–रेख में Strip Plantation किये जाने की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–5) |
| 6 | राज्य सरकार हाड कापी में प्रस्तुत किया गया वनाधिकार अधिनियम, प्रमाण–पत्र तथा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित मार्ग का हर 200–300 मी0 पर Geo-coordinates दिखाते हुये डिजिटल मानचित्र को Online Part-I पर भी upload करें। | शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रश्नगत मोटर मार्ग का Geo-Coordinates of prposed road may be shown at a regular interval of 200 mtr to 300 mtr including all turning point cureves along the alignment in this map की प्रति तथा वन अधिकार अधिनियम, से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित हैं। (संलग्नक–6) |

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

16/4

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 2467/ FP/UK/ROAD/10168/2015 दिनांकित।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल।

16/4

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

a/c